रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042026-271967
CG-DL-E-21042026-271967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2026/वैशाख 1, 1948
No. 277] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2026/VAISAKHA 1, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2026

सा. नि. का. 301(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (वर्ष 1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन विनियमन) आदेश, 2001 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन विनियमन) संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगा।

2. विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन विनियमन) आदेश, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के खंड 2 में,

(i) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:

"विमानन टरबाइन ईंधन" आईएस 1571 विनिर्देश के अनुरूप या आईएस 17081 में विनिर्दिष्ट संश्लेषित हाइड्रोकार्बन के साथ इसका मिश्रण, हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है।

(ii) उपखंड (v) में, "आईबीपी कंपनी लिमिटेड" अक्षरों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. मूल आदेश के, खंड 8 के, उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 103 के उपबंध, जो तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित हैं, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण पर यथासंभव लागू होंगे।"

[फा. सं. पी-13032(18)/3/2024-सीसी (ई-49214)]

प्रवीन एम. खनूजा , अपर सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा. नि. का. 241(अ), दिनाँक 31 मार्च, 2001 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्, संख्याक सा. नि. का. 917(अ), दिनाँक 26 दिसंबर, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2026

G.S.R. 301(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001, namely:-

1. Short title and commencement:-

(1) This order may be called the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001 (hereinafter referred to as the principal order), in clause 2,

(i) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :

"aviation turbine fuel" is a complex mixture of hydrocarbons conforming to IS 1571 specification or its blend with synthesised hydrocarbons as specified in IS 17081.

(ii) in sub-clause (v), the letters and words "IBP Co. Limited" shall be omitted.

3. In the principal order, in clause 8, for sub-clause (C), the following sub-clause shall be substituted, namely :

"(C) the provisions of section 103 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this order".

[F. No. P-13032(18)/3/2024-CC(E-49214)]
PRAVEEN M. KHANOOJA, Addl. Secy.

Note: The principle order was published in the Gazette of India, extraordinary, part II, Section 3, Sub section (i), vide number G.S.R. 241(E), dated 31st March, 2001 and subsequently amended vide number G.S.R. 917(E), dated 26th December, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA